(49)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

गौरी शंकर सिंह, उम्र 78 वर्ष, निवासी राजीव नगर, खरिका, तेलीबाग, लखनऊ, उ0 प्र0 द्वारा अपने मुख्तार एवं पुत्र रवि शंकर सिंह

...........आवेदक

बनाम

1. सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 शमशेर बहादुर सिंह निवासी बलपुरवा, शहडोल, मध्य प्रदेश
2. श्री इन्द्रजीत मिश्रा अधिवक्ता तहसील सोहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश
3. श्री वी.एन.राय तत्कालीन कलेक्टर आफ स्टांप वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश
4. श्री अजय पाठक तहसीलदार सोहागपुर शहडोल मध्य प्रदेश

...........अनावेदक / उत्तरवादीगण

आयुक्त रीवां एंव राजस्व मंडल के आदेशों की अवमानना करने के कारण धारा 12 कंटेप्ट आफ कोर्ट एक्ट के तहत कार्यवाही करने हेतू

महोदय,

आवेदक गौरी शंकर सिंह निम्नलिखित निवेदन करता है :–

1. यहकि माननीय आयुक्त रीवां ने तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार के एकपक्षीय नामांतरण आदेशों को जो फर्जी कुटरचित अपंजीकृत कच्ची लिखा पढ़ी जिसपर आवेदक गौरी शंकर सिंह के कूटरचित हस्ताक्षर बनाए गए हैं पर आधरित था, अपने आदेश दिनांक 25.07.2005 / 03.09.2005 द्वारा निरस्त करते हुए प्रकरण क्रमांक 143अ/6/85–86 एवं 35अ/6/85–86 को तहसीलदार सोहागपुर शहडोल को समग्र जांच हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर ने भी अपने आदेश दिनांक 29.12.2006 द्वारा आयुक्त रीवां के आदेश को स्थिर रखते हुए भूमियों के हस्तांतरण पर रोक लगा दिया एवं जांच हेतु तहसीलदार सोहागपुर शहडोल को प्रत्यावर्तित कर दिया। लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाई एंव श्री अजय पाठक तहसीलदार सोहागपुर शहडोल द्वारा एक अलग से प्रकरण चला कर गौरी शंकर सिंह को बिना सूचित किए अपने आदेश दिनांक 12.12.2007 के माध्यम से वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी शहडोल श्री वी0एन0 राय द्वारा जब वह जिला रजिस्ट्रार व कलेक्टर आफ स्टांप थे अपने आदेश दिनांक 01.01.2008 के द्वारा सुमित्रा देवी एवं श्री इन्द्रजीत मिश्रा अधिवक्ता द्वारा फर्जी कूटरचित कच्ची लिखा पढ़ी को धोखे से इम्पाउंड कर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 1015–तीन/2008 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-8-2016	प्रकरण में दिनांक 15–7–16 को आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण करने के उपरांत प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसील न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश की अवलेहना की गई है। तहसीलदार को प्रकरण को जांच तक ही सीमित रखना चाहिए था जबकि तहसीलदार एवं तत्कालीन कलेक्टर आफ स्टाम्प ने इम्पाउन्ड करने की कार्यवाही करने में आयुक्त रीवा के आदेशों की घोर अवमानना कह है। अतः इनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना एवं अध्याय 10 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। 3/ अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव ने दिनांक 18–7–16 को आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अनावेदिका सुमित्रादेवी को दिनांक 15–7–16 को नियत पेशी का नोटिस प्राप्त हुआ था, परन्तु बीमार होने के कारण वह उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं हो सकी। दिनांक 16 एवं 17–7–16 को शासकीय आवकाश था। तत्पश्चात दिनांक 18–7–16 को अपने अधिवक्ता सहित उपस्थित हुई। उनके द्वारा दस्तावेजों सहित लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसको विचार क्षेत्र में	